राजस्थान सरकार

यालय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर करेडा जिला–भीलवाडा

सीन अधिकारी :– बन्शीधर योगी, (आर0ए0एस0)

दमा संख्या :– 31/2024 प्र०प०

1. अमरसिंह पि० रूपसिंह राजपूत नि० करडा – तह० करेडा – भी०

प्रार्थी......

बनाम

01. डेगासिंह S/o मूलसिंह राजपूत नि० करडा – तह० करेडा – भी०

विपक्षीगण......

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा0भू0रा0अधि0 1956

:: आदेश :: **दिनांक** 18/6/24

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा0भू0राज0अधि0 1956 के तहत प्रस्तुत दन किया कि ग्राम करडा...... पटवार हल्का भुवाली (कु०) तहसील करेड़ा में उसके खाते/संयुक्त खाता संख्या 121 .... आराजी नम्बर 636/2, 644/1, 653/1, 657/1, 659, ... कुलकिता 5 ...... रकबा 1.3278 ....हैक्टेयर भूमि स्थित है। वादग्रस्त विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतदाविया के सीमा चिन्ह नही होने से आये दिन सीमा सबंधी विवाद उत्पन्न ता है। जिसमें प्रार्थी अपने खाते/ संयुक्त खातें की भूमि की पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जावे।

स्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 30/1/24 .... को पंजीबद्व किया जाकर प्रकरण को र्थ से यह बात सिद्व है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी के खाते एंव कब्जे काश्त की होने से पत्थरगढी कराने कारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार की हैरा–फैरी होने का ही है तथा न किसी प्रकार अधिकार निर्धारित किये जाते है। अतः इनत तथ्यों का देखते हुये नैसर्गिक क सिद्वान्त के आधार पर आवेदन पत्र प्रार्थी स्वीकार योग्य है।

:: आदेश::

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 111–128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम............ करडा.................. पटवार हल्का भुवाली (कु०)........ तहसील करेड़ा में स्थित खाता संख्या 121...... राजी नम्बर 636/2, 644/1, 653/1, 657/1, 659, ... कुलकिता 5 ...... रकबा 1.3278 .... हैक्टेयर भूमि के चारों तरफ सीमा की नकारी किये जाने हेतु पत्थरगढी किये जाने हेतु भू– अभिलेख निरीक्षक गोविन्दपुरा .... को 650/– कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा करावे। फीस जमा होने पर पक्षकारान की मौजूदगी में मौंके व कब्जे की यथास्थिति को बनायें रखते हुये बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढी की जावें। फसल खड़ी होने पर पत्थरगढी नही की जावे।

प्रार्थना पत्र की प्रतिलिपि

Signature Not Verified

Digitally signed by Banshi Dhar Yogi
Date: 2024.06.21 15:55:58 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सहायक कलक्टर करेड़ा
करेड़ा, जिला– भीलवाड़ा

:– तहसीलदार करेड़ा को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार की जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करे।

उपखण्ड अधिकारी
सहायक कलक्टर करेड़ा
करेड़ा, जिला– भीलवाड़ा